UNIVERSITY NEWS 07 FEBRUARY 2025

NBT

LU में पांच प्रफेसरों से छिना डीन का पद

बदलाव : एलयू वीसी के फैसले पर कार्य परिषद ने लगाई मुहर, पूर्व वीसी प्रो. राय के कार्यकाल मे बनाए गए थे डीन

■ NBT रिपोर्ट,लखनऊ : लखनऊ विवि में अब पूर्व में गठित हुए डीन के पांच पद विवि प्रशासन ने खत्म कर दिए हैं। विवि की कार्यपरिषद में भी इसे मंजूरी दे दी गई है। इसमें एडमिशन, अकैडमिक्स, रिक्रूटमेंट, रिसर्च और कॉलेज डिवेलपमेंट काउंसिल के डीन के पद शामिल हैं। पूर्व वीसी प्रो. आलोक राय की ओर से ये पद सृजित किए गए थे, लेकिन विवि के स्टैट्यूड्स और परिनियमावली में इन पदों का सृजन नही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब विवि की ओर से इन सभी पदों को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, इसमें जो डीन काम कर रहे हैं, वे अगले आदेश तक काम करते रहेंगे।

एलयू में पहले एडमिशन, कॉलेज डिवेलपमेंट काउंसिल व रिसर्च समेत अलग अलग काम के लिए को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते थे। हर साल अलग-अलग प्रफेसरों को इनकी जिम्मेदारी दी जाती थी। प्रो. राय ने को-ऑर्डिनेटर की जगह इन सभी को डीन पदनाम दे दिया। प्रो. पंकज माथुर को एडमिशन, प्रो. मनुका खन्ना को डीन रिक्रूटमेंट, प्रो. गीतांजलि मिश्रा को डीन अकैडमिक्स, प्रो. अवधेश को डीन सीडीसी और प्रो. एमएम वर्मा को डीन रिसर्च नियुक्त किया। प्रो. राय के पूरे कार्यकाल के दौरान इन्ही के पास इन पदों का जिम्मा रहा। नए वीसी ने ये पदनाम खत्म कर दिए हैं, जिसे कार्यपरिषद में भी मंजूर कर लिया गया है। साथ ही, इन सेल के गठन और इनका कार्यभार किसे दिया जाए, इसके लिए वीसी को अधिकृत किया गया है।

5 संकायों का भी हुआ था गठन

एलयू मे पहले आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, फाइन आर्ट के अलावा आयुर्वेद व यूनानी संकाय के डीन होते थे। इनकी नियुक्ति सीनियॉरिटी के हिसाब से होती थी। प्रो. राय की ओर से पांच नए संकायो का गठन किया गया था। इसमे एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, अभिनवगुप्त संस्थान, योग व इंजिनियरिंग संकाय शामिल है। इन सभी मे मैनेजमेंट छोड़कर बाकी मे गिनी-चुनी फैकल्टी है। ऐसे मे सभी संकायो मे दूसरे विभागो के शिक्षको वीसी ने डीन बनाया था। इसी के चलते अब विवि मे डीन की संख्या 13 हो गई है।

TIMES OF INDIA

LU EC suspends non-statutory bodies, posts

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The executive council of Lucknow University, chaired by vice-chancellor Prof JP Saini, on Friday decided to put under suspension the functioning of non-statutory bodies, cells and posts in the university as they are yet to get approval from the governor, who is also chancellor of the university.

The decision will impact the functioning of the offices of deans of colleges, academics, research, and admissions, as well as the directors of second campus and ONGC centre of advanced studies.

The EC has authorised the VC to allot responsibilities of running these bodies and cells to other officials till a final decision is made. The EC also decided that promotions of the faculty members will be done in accordance with UGC Regulations 2018, ratified by the state govt on Oct 13, 2019, and applicable since June 28, 2019.

LU spokesperson Mukul Srivastava said, "The EC has taken these steps to ensure smooth functioning."

AMRIT VICHAR

लविवि में होगा कुंडली मिलान

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

- लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष परामर्श केंद्र ने शुल्क व्यवस्था लागू की
- विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व उनके परिजनों को मिलेगी 15 प्रतिशत छूट

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष परामर्श केंद्र आरंभ किया गया है जहां पर वर-वधु की कुंडली मिलान, स्वप्न विचार, ग्रह नक्षत्र से लेकर वास्तु दोष तक देखे जाएंगे और उचित परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा प्रत्येक कार्य के लिए वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन को परामर्श शुल्क मे 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इतना ही छूट विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी दिया जाएगा। शुल्क भुगतान विश्वविद्यालय की वित्तीय नियमावली के अनुसार होगा और केवल वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त रसीद प्रस्तुत करने पर ही परामर्श उपलब्ध होगा।

इन विषयों पर मिलेगा परामर्श

विवाह विचार, संतान विचार, धन इन्वेस्टमेंट आर्थिक स्थिति का विचार, मान-सम्मान पद-प्रतिष्ठा का विचार, राजनैतिक करियर का विचार, काउंसलर परामर्शदाता विचार -मंत्र के प्रभाव का विचार, शकुन अपशकुन, स्वप्न आदि विचार किया जाएगा। जिसके लिए समय और शुल्क निर्धारित किया गया है।

कैरियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, संतान आदि विषयों पर 15 मिनट के लिए 500 रुपया शुल्क देना होगा। जबकि तंत्र-मंत्र के प्रभाव शगुन-अपशुन और स्वपन विचार के लिए 30 मिनट के लिए 900 रुपया निर्धारित किया गया है। लघु, मध्यम और वृहत कुंडली निर्माण के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा और शारीरिक लक्षणों के आधार पर परामर्श के लिए भी शुल्क निर्धारित है। जबकि वास्तु शास्त्र के परामर्श के लिए प्रति 60 वर्ग फुट पर 5 रुपया निर्धारित किया गया है।

AMRIT VICHAR

समिति करेगी शिक्षकों की पदोन्नति

अमृत विचार, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक मे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक मे वरिष्ठ आचार्यों की पदोन्नति से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया गया। यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। अब विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित पैनल से किया जाएगा। जिनमे से कुलपति नामित विशेषज्ञों को समिति मे सम्मिलित करेंगे। बैठक मे अधिष्ठाता, निदेशक एवं विभिन्न सेल के गठन से संबंधित प्रावधानो पर भी चर्चा हुई। परिषद ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली मे संशोधन पर कुलाधिपति की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः तत्काल प्रभाव से इन पदों और सेल के गठन को स्थगित किया जाता है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व मे आवंटित कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंपने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों मे निरंतरता बनी रहेगी और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित नही होगी।

AAJ

लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में पदोन्नति पर मुहर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रो जे पी सैनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। परिषद ने वरिष्ठ आचार्यों की पदोन्नति से संबंधित विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

परिषद ने यह निर्णय लिया कि यूजीसी अधिनियम 2018, जिसे राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2019 को अंगीकृत किया था और जो विश्वविद्यालय में 28 जून 2019 से लागू है के आलोक में पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अंतर्गत चयन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रावधान के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित पैनल से किया जाएगा जिनमें से कुलपति नामित विशेषज्ञों को समिति में सम्मिलित करेंगे। इस निर्णय से वरिष्ठ प्रोफेसर के करियर उन्नयन की प्रक्रिया को स्पष्ट और विधिक आधार मिलेगा।

बैठक में अधिष्ठाता, निदेशक एवं विभिन्न सेल के गठन से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। परिषद ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर कुलाधिपति की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः तत्काल प्रभाव से इन पदों और सेल के गठन को स्थगित किया जाता है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व में आवंटित कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंपने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी।

वित्त समिति ने लविवि से जुड़े लोगों को ज्योतिष शुल्क में छूट का अनुमोदन

लविवि की वित्त समिति ने विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन को विवि के ज्योतिष परामर्श केंद्र द्वारा परामर्श शुल्क में 15 प्रतिशत छूट दिये जाने का अनुमोदन किया है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को परामर्श शुल्क में 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। शुल्क भुगतान विश्वविद्यालय की वित्तीय नियमावली के अनुसार होगा और केवल वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त रसीद प्रस्तुत करने पर ही परामर्श उपलब्ध होगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी करेगा।

I NEXT

ज्योतिष केंद्र से परामर्श के लिए फीस तय

LUCKNOW (6 FEB): लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए ज्योतिष परामर्श केंद्र के लिए फीस व्यवस्था का निर्धारण कर दिया गया है. अब कोई भी व्यक्ति इस केंद्र पर जन्म कुंडली के आधार पर तय फीस जमा करके परामर्श ले सकेगा.

संस्थान के लोगों को छूट

प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि एलयू के स्टूडेंट्स, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को परामर्श फीस में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. फीस का भुगतान विश्वविद्यालय की वित्तीय नियमावली के अनुसार ही होगा. केवल वित्त विभाग की ओर से प्रदत्त रसीद प्रस्तुत करने पर ही परामर्श उपलब्ध होगा. इस संबंध में विश्वविद्यालय जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा. जारी फीस विवरण के अनुसार जन्म कुंडली के आधार पर करियर, व्यवसाय, आय के श्रोत से संबंधित प्रश्न, शिक्षा, विदेश यात्रा का विचार सहित अन्य प्रश्नों के पूछने पर अलग-अलग फीस रहेगी.

DAINIK JAGRAN

लवि : वरिष्ठ प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुला

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में तय हुआ है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अंतर्गत पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। रेगुलेशंस के प्रविधान चार (3) के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित पैनल से किया जाएगा, जिनमें से कुलपति नामित विशेषज्ञों को समिति में शामिल करेंगे। इस निर्णय से वरिष्ठ प्रोफेसर के करियर उन्नयन की प्रक्रिया को स्पष्ट और विधिक आधार मिलेगा।

यूजीसी ने वरिष्ठ प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति के लिए भी एक कैटेगिरी बनाई है। लवि में पहली बार इसे लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस नियम के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय से करीब 40 प्रोफेसर आवेदन के लिए पात्र होंगे।

बैठक में डीन शोध, डीन एडमिशन, डीन सीडीसी, डीन एकेडमिक, निदेशक एवं विभिन्न सेल के गठन से संबंधित प्रविधानों पर चर्चा हुई। परिषद ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर कुलाधिपति की सहमति अभी नहीं हुई है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से इन पदों और सेल के गठन को स्थगित कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व में आवंटित कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंपने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय में हैंडबाल टीम का चयन ट्रायल नौ को

लखनऊ : लवि में हैंडबाल टीम (पुरुष, महिला) का चयन ट्रायल नौ फरवरी को सुबह 10 बजे शिवाजी ग्राउंड में होगा। हैंडबाल क्लब के अध्यक्ष डा. मोहम्मद तारीक की ओर से सूचना जारी की गई है। विद्यार्थियों को आठ फरवरी को शाम पांच बजे तक पंजीकरण कराना है। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। वि.

AMAR UJALA

कार्यपरिषद की बैठक... लखनऊ विवि में तैनात डीन के अतिरिक्त पद समाप्त होंगे

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन के अतिरिक्त सभी पद समाप्त होंगे। ये निर्णय कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में लिया। कुलपति ने कहा कि अधिष्ठाता, निदेशक और अलग-अलग सेल के गठन के लिए विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर विचार करने का अधिकार राज्यपाल को है। ऐसे में वहां से कोई सहमति नहीं है तो इन पदों और सेल के गठन को स्थगित किया जाता है।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व में आवंटित कामों को अन्य अधिकारियों को सौंपने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था से प्रशासनिक कामों में निरंतरता बनी रहेगी और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी। बता दें कि विश्वविद्यालय की अलग-अलग सेल में डीन के अतिरिक्त पदों बढ़ोतरी तत्कालीन कुलपति प्रो. आलोक राय के कार्यकाल में हुई थी। इस पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अंदरूनी विरोध भी था। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय एक्ट से अलग किसी भी पद पर तैनाती नहीं हो सकती। बैठक में वरिष्ठ आचार्यों की पदोन्नति से संबंधित विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। जिसमें तय हुआ कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जिसे राज्य सरकार ने 13 अक्तूबर 2019 को अंगीकृत किया था और जो विश्वविद्यालय में 28 जून 2019 से लागू है। इसी आधार पर पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अंतर्गत चयन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। ये भी तय हुआ कि विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति के अनुमोदित पैनल से किया जाएगा, जिनमें से कुलपति नामित विशेषज्ञों को समिति में शामिल करेंगे। (संवाद)

ज्योतिष विद्या केंद्र से परामर्श शुल्क निर्धारित स्टाफ और विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत की छूट

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष परामर्श केंद्र के शिक्षक अब विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भविष्य व समाधान बताएंगे। अलग-अलग प्रश्न व समस्याओं के समाधान से संबंधित शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि परामर्श केंद्र का जहां राजस्व बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर ज्योतिष विद्या के योग्य लोगों से परामर्श मिल सकेगा। प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव के अनुसार शुल्क भुगतान विश्वविद्यालय की वित्तीय नियमावली के अनुसार होगा और वित्त विभाग से जारी रसीद प्रस्तुत करने पर ही परामर्श उपलब्ध होगा। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश भी जारी किए जाएंगे। रेट सूची लविवि की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। इस तरह की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। परामर्श शुल्क 500 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक है। शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। (संवाद)

HINDUSTAN

एचपीवी टीकाकरण की जानकारी दी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग की ओर से गोद लिए गए गांव सोनवां, भैंसामऊ, गाजीपुर,मिश्रीपुर व डींगुरपुर मे विद्यार्थियों को अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर वीके शर्मा ने भ्रमण कराकर उन्हें एचपीवी टीकाकरण, स्वास्थ्य शिविर और जनभवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी की जानकारी दी। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव इस मौके पर मौजूद थे।

AMRIT VICHAR

प्राथमिक विद्यालय के बच्चो के साथ मौजूद लविवि के शिक्षको की टीम।

लविवि की टीम ने किया चार गांवों का भ्रमण

अमृत विचार, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से गोद लिए गए गांवो का भ्रमण करने एक टीम पहुंची। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो . वीके शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सोनवां, भैंसामऊ, गाजीपुर, मिश्रीपुर व डींगुरपुर का दौरा किया। ग्रामीणो को एचपीवी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान 6 से 8 फरवरी तक पुष्प प्रदर्शनी स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी दी गई। टीम मे प्रो . राकेश द्विवेदी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

HINDUSTAN TIMES

LU exec council clears promotion norms, defers creation of new posts

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The executive council (EC) of Lucknow University on Friday approved a series of key academic and administrative decisions, including laying down a clear mechanism for the promotion of senior professors and deferring the creation of certain posts and cells.

The aim is to ensure transparency and smooth functioning, according to an official statement issued by the university.

The council deliberated extensively on the promotion of senior professors and decided that the process would be carried out strictly in accordance with the UGC Regulations, 2018.

These regulations were adopted by the state government on October 13, 2019, and have been in force at the university since June 28, 2019.

The council also examined provisions under the University Statutes relating to the constitution of the Selection Committee. It was decided that subject experts under Provision IV(iii) would be chosen from a panel approved by the chancellor, from which the vice-chancellor would nominate experts to the committee.

The executive council also assured that necessary amendments and improvements would be undertaken FILE PHOTO

The decision is aimed at providing a clear and legally sound framework for the career advancement of senior faculty members, the statement said.

The meeting also discussed provisions related to the formation of the dean, director, and various cells.

The council clarified that since the chancellor's approval for amendments to the University Bylaws has not yet been received, the formation of these posts and cells has been postponed with immediate effect.

To ensure continuity in administrative work, the council authorised vice-chancellor prof JP Saini to delegate duties earlier assigned to deans to other officials.

The arrangement, the council said, would not affect the functioning of the university.

The executive council also assured that necessary amendments and improvements would be undertaken in the future to further strengthen the university's academic and administrative systems.

It called for cooperation from all faculties, departments and officials to enhance the institution's progress and reputation.

VOICE OF LUCKNOW

लविवि कार्यकारी परिषद की हुई बैठक

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रो जे पी सैनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य संस्थान की पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। परिषद ने वरिष्ठ आचार्यों की पदोन्नति से संबंधित विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। परिषद ने यह निर्णय लिया कि 2018, जिसे राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2019 को अंगीकृत किया था और जो विश्वविद्यालय में 28 जून 2019 से लागू है, के आलोक में पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अंतर्गत चयन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रावधान के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित पैनल से किया जाएगा, जिनमें से कुलपति महोदय नामित विशेषज्ञों को समिति में सम्मिलित करेंगे। इस निर्णय से वरिष्ठ प्रोफेसर के करियर उन्नयन की प्रक्रिया को स्पष्ट और विधिक आधार मिलेगा। बैठक में अधिष्ठाता, निदेशक एवं विभिन्न सेल के गठन से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा हुई।

परिषद ने यह स्पष्ट किया कि चूँकि विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर कुलाधिपति महोदय की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः तत्काल प्रभाव से इन पदों और सेल के गठन को स्थगित किया जाता है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व में आवंटित कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंपने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी।

HINDUSTAN

'एआई टूल्स से चेक करिए डीपफेक'

लखनऊ। लविवि के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में शुक्रवार को डीपफेक, एआई टूल्स और फैक्ट चेकिंग पर एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता पत्रकार गौरव ललित ने बताया कि आजकल एआई के ज़रिए फर्जी फोटो के साथ-साथ वीडियो और आवाज भी बनाई जा सकती हैं और आमतौर पर लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। इनके फैक्ट चेक करने के टूल्स भी उपलब्ध हैं। बताया कि अचानक कोई गलत फैसला लेने से पहले कुछ एआई टूल्स जैसे, Hive Moderation, Resemble AI, Ghostarchive का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टूल्स बिल्कुल मुफ्त हैं। छात्रों ने कई तरह के सवाल पूछे।

HINDUSTAN

कार्य परिषद में निदेशक द्वितीय परिसर व कई सेल स्थगित करने का फैसला

लखनऊ विवि में डीन रिसर्च प्रवेश समेत पांच पद से हटे

बैठक

लखनऊ,संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय में कई अधिष्ठाता, निदेशक और सेल को स्थगित कर दिया गया है। कुलपति की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया।

प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि लखनऊ विवि में पांच अधिष्ठाता, निदेशक द्वितीय परिसर और कई तरह की सेल को स्थगित किया गया है। जिन अधिष्ठाताओं का पद स्थगित हुआ है उसमें डीन रिसर्च, रिक्रूटमेंट, प्रवेश, सीडीसी और अकादमिक शामिल हैं। प्रवक्ता का कहना है कि चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर कुलाधिपति की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः तत्काल प्रभाव से इन पदों और सेल के गठन को स्थगित किया गया है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं को पूर्व में आवंटित कार्यों को अन्य अधिकारियों को सौंपने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होगी।

वरिष्ठ प्रोफेसर पर प्रोन्नति का रास्ता साफ: कार्य परिषद में वरिष्ठ आचार्यों की पदोन्नति से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लिया है कि यूजीसी नियमावली 2018 को राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2019 को अंगीकृत किया था और विश्वविद्यालय में वह 28 जून 2019 से लागू है। इसके तहत ही पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अंतर्गत चयन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रावधान चतुर्थ (तीसरे) के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति की ओर से अनुमोदित पैनल से किया जाएगा, जिनमें कुलपति नामित विशेषज्ञों को समिति में शामिल करेंगे।

पांच सौ में जन्म पत्रिका 700 में हस्त रेखा दिखाएं

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग मे अब सशुल्क ज्योतिष परामर्श की सुविधा शुरू की गई है। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव का कहना है कि वित्त समिति द्वारा तय दरों के अनुसार, जन्म पत्रिका निर्माण के लिए न्यूनतम 500 रुपये और वृहद कुंडली के लिए 3100 रुपये शुल्क देना होगा। हस्तरेखा, अंक ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष विचार के लिए 700-700 रुपये निर्धारित किए गए है। वास्तु परामर्श के लिए गृह वास्तु 5 रुपये और व्यावसायिक वास्तु 15 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

I NEXT

एमएससी बाटनी दूसरे सेमेस्टर में इंटर डिपार्टमेंटल पेपर शुरू

लखनऊ विश्वविद्यालय के एमएससी बाटनी दूसरे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के लिए इंटर डिपार्टमेंटल पेपर की शुरुआत की गई है . एचओडी प्रो . गौरी सक्सेना ने बताया कि अभी तक तीसरे सेमेस्टर में यह संचालित था, जिसे दूसरे सेमेस्टर में कर दिया गया था . इसमें स्टूडेंट्स को दूसरे विभागों के कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा . यह पेपर दो क्रेडिट (100 मार्क्स) का होगा . इंटर डिपार्टमेंटल पेपर का चयन मेरिट और वरीयता के बेस पर होगा . वहीं, पीजी में 24 क्रेडिट का एक सेमेस्टर होता था, जिसे 20 क्रेडिट कर दिया गया है . कोर कोर्स में पांच पेपर थे, जिसमें एक पेपर का कोर्स कंटेंट मर्ज करके चार पेपर कर दिए गए हैं .